राजस्थान सरकार
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग

क्रमांक :– प.7(505) परि/नियम/hq/ 2013 जयपुर, दिनांक :– 13.07.2026

कार्यालय आदेश-05/2026

विषयः–Vehicle Location Tracking Device (VLTD) के ऑनबोर्डिंग, सक्रियण एवं क्रियान्वयन (Onboarding, activation and implementation) हेतु प्रक्रिया ।

संदर्भः–1.सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 28.11.2016, 18.04.2018, 25.10.2018 एवं 02.11.2018 एवं SOP दिनांक 22.02.2021

2. AIS 140 मानक

सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार (MoRTH) द्वारा जारी पत्र क्रमांक RT-16011/13/2025-T दिनांक 19.12.2025 के निर्देशानसार राज्य में वीएलटीडी का विस्तार बढाने एवं केन्द्रीय मोटर वाहन नियम (CMVR) की पूर्ण अनुपालना हेतु निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किये जाते है।

1. सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना में राज्य में उक्तानुसार सार्वजनिक सेवा के समस्त परिवहन वाहनों में Vehicle Location Tracking Device (वीएलटीडी) को एतद्द्वारा लागू किया जाता है।
2. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार धौलपुर जिले के समस्त भार वाहनों में भी वीएलटीडी दिनांक 15.06.2026 से अनिवार्य किया जा चुका है। केन्द्रीय मोटरयान नियम–1989 के नियम –90(5) के तहत राष्ट्रीय परमिट धारी सभी भारवाहनों तथा नियम 129 के उप नियम (1) के खण्ड (v) के अनुसार खतरनाक या परिसंकटमय सामान को ले जाने वाले एन–2 एवं एन–3 प्रवर्ग के प्रत्येक वाहन में वीएलटीडी अनिवार्य है।
3. **<u>प्रथम चरणः– वाहन पंजीकरण</u>**

प्रस्तावित कार्यवाही	समय–सीमा
नए वाहन पंजीकरण, पंजीकरण नवीनीकरण एवं स्वामित्व हस्तांतरण के समय CMVR नियम 125H के अनुसार वीएलटीडी फिटमेंट हेतु VAHAN 4.0 पर अनिवार्य चैक लागू किया जाना।	पूर्व निर्मित यात्री वाहनों में पूर्व से लागू। शेष वाहनों में तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

4.द्वितीय चरणः– फिटनेस एवं PUCC

प्रस्तावित कार्यवाही	समय–सीमा
निर्धारित आवृत्ति पर CMVR नियमों के अनुसार फिटनेस जांच या PUCC जांच के दौरान VAHAN 4.0 पर अनिवार्य चैक लागू किया जाना।	मोर्थ द्वारा निर्देशित दिनांक से (धौलपुर जिले में समस्त खनन संबंधी वाहनों में दिनांक 15.06.2026 से लागू)

RajKaj Ref No.:
23173626

Digitally signed by
PURUSOTTAM SHARMA
Designation: Commissione
Date: 2026-07-13 19:29:5
IST

Scanned with OKEN Scanner

5. **<u>तृतीय चरणः—</u>** नियम 90 के अंतर्गत परमिट

प्रस्तावित कार्यवाही	समय—सीमा
VAHAN 4.0 पर अनिवार्य चैक पहले से लागू है असुविधा से बचने हेतु समय सीमा अग्रिम कर दी गई है।	आदेश जारी होने की दिनांक से लागू।

6. राज्य में आमजन को सुविधा दिये जाने के लिए वीएलटी डिवाइस लगाने हेतु वाहन स्वामी को डिवाइस चयन की सुविधा होगी।

7. वाहन स्वामी किसी भी वीएलटीडी ओईएम से अपने वाहन में वीएलटी डिवाइस लगवा सकेगें।

8. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मत्रांलय द्वारा संचालित वीएलटीडी मेकर पोर्टल पर सूचीबद्व (Enlisted) सभी वीएलटीडी ओईएम वाहनों में वीएलटी डिवाइस लगाने हेतु पात्र होगें।

9. वीएलटीडी ओईएम को यह सुनिश्चित करना होगा कि वीएलटी डिवाइस AIS: 140 मानक को सत्यापित करते हों।

10. जिन वाहनों का पंजीयन इस आदेश के जारी होने की दिनांक से पूर्व में किया जा चुका है। उनमें भी वीएलटी डिवाइस एवं पैनिक बटन लगाना अनिवार्य होगा, तथा इस हेतु वाहन स्वामी को वीएलटी डिवाइस लगाने हेतु उपरोक्तानुसार वीएलटीडी ओइएम चयन की स्वलंत्रता होगी।

11. उपर्युक्त प्रावधान केंद्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 125 H में वर्णित पूर्ण निर्मित सार्वजनिक सेवा यान एवं चैसिस पर बनने वाले सार्वजनिक सेवा यान तथा समस्त भार वाहनों पर पर भी लागू होगें।

12. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मत्रांलय द्वारा भविष्य में किसी अन्य श्रेणी के वाहन में वीएलटी डिवाइस लगाने हेतु जारी दिशा—निर्देश तदनुसार लागू होगें।

13. वाहन निर्माता द्वारा लगाये गये AIS: 140 मानक के वीएलटी डिवाइस मान्य होगें, तथा वीएलटीडी ओइएम को यह सुनिश्चित करना होगा कि वाहन में Installed वीएलटी डिवाइस राज्य के स्टेट वीएलटीडी पोर्टल पर ऑनबोर्ड हो।

14. वीएलटीडी निर्माता द्वारा निर्मित वीएलटी डिवाईस मॉडल को स्टेट वीएलटीडी बैकएंड पोर्टल पर ऑनबोर्ड करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी।

14.1 मोर्थ द्वारा जिन वीएलटीडी OEM's एवं उनके मॉडल का अनुमोदन AIS -140 के अनुरूप किया गया है। वह सभी STATE VLTD PORTAL पर ऑनबोर्ड किये जाने पात्र होगें।

14.2 वीएलटीडी निर्माता (VLTD OEM) को अपने वीएलटी डिवाइस का केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 126 में विनिर्दिष्ट Authorized Testing Agency के द्वारा Authorized होना अनिवार्य है। प्रथम प्रमाणपत्र लेने के बाद प्रत्येक वर्ष परीक्षण कराकर Conformity of Production(CoP) प्रमाणपत्र लेना आवश्यक होगा।

14.3 वीएलटीडी निर्माता (VLTD OEM) को Authorized Testing Agency द्वारा Authorized जारी Type Approval Certificate (TAC) , Conformity of Production (CoP) तथा वीएलटीडी का विवरण वीएलटीडी मेकर पोर्टल(https://vlts.rajasthan.gov.in) पर अपलोड करना होगा।

RajKaj Ref No.:
23173626

Digitally signed by
PURUSOTTAM SHARMA
Designation: Commissione
Date: 2026-07-13 19:29:5
IST

Scanned with OKEN Scanner

14.4 राज्य में वीएलटीडी के फिटमेंट का कार्य करने के इच्छुक वीएलटीडी निर्माताओं द्वारा उनके वीएलटीडी डिवाईस का यूआईडी नम्बर प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित दस्तावेज ऑनलाईन STATE VLTD PORTAL पर अपलोड करने होंगें तथा मूल प्रमाण पत्र कार्यालय में मिलान हेतु प्रस्तुत करने होगें।

A. Type Approval Certificate(TAC)
B. Conformity of Production(COP)
C. Request letter on VLTD OEM company letter head
D. Affidavit regarding not being debarred in any state
E. Receipt of registration amount

14.5 वीएलटीडी निर्माता को स्टेट बैकएंड के क्रिडेन्शियल ई–मेल/एसएमएस के माध्यम से उपलब्ध करवाये जायेगें।

14.6 वीएलटीडी बैकएंड पोर्टल पर वीएलटीडी निर्माता द्वारा सैम्पल डिवाईस के मॉडल को पोर्टल पर ऑनबोर्ड करने हेतु आवेदन किया जायेगा, इस सेम्पल डिवाइस के 2 सेट कार्यालय में प्रस्तुत करने होगें।

14.7 बैकएंड पर डिवाईस के समस्त डेटा पैकेट एवं अलर्ट (AIS 140 अनुसार), TAC तथा COP की वैधता, डिवाईस का विवरण, सिम की वैधता आदि के सत्यापन होने पर डिवाईस का पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग पूर्ण हो जायेगा।

14.8 प्रामाणिक डिवाईस के मॉडल की मोर्थ द्वारा प्रदर्शित सूची के अनुसार वैधता रहेगी। वीएलटीडी निर्माता द्वारा वीएलटीडी बैकएंड पोर्टल पर ऑनबोर्ड की गई मॉडल की डिवाईस ही वाहन पर लगाई जायेगी। मोर्थ द्वारा किसी वीएलटीडी OEM's को यदि debarred किया जाता है तो उसे राज्य में भी debarred माना जायेगा।

14.9 वीएलटीडी बैकएंड पोर्टल पर वीएलटीडी निर्माता द्वारा अपने डीलर/रेट्रो फिटमेंट सेन्टर को Credential उपलब्ध कराया जाएगा।

14.10 वीएलटीडी ओइएम अपने उपकरण के विवरण को वीएलटीडी Maker Portal पर भी अपलोड करेगी।

14.11 वीएलटीडी ओइएम वीएलटीडी का एक्टिवेशन करने हेतु अधिकृत RetroFitment Center(RFC) को अधिकृत कर सकेंगे। वीएलटीडी स्टेट बैकएंड पर वीएलटीडी के एक्टिवेशन के लिए वीएलटीडी निर्माताओं को Credentials उपलब्ध कराया जायेगा।

14.12 वाहन निर्माता कंपनियों द्वारा वाहन में वीएलटीडी डिवाईस एवं पैनिक बटन एआईएस 140 में निर्धारित स्थान एवं प्रक्रिया के अनुसार लगाई जायेगी।

14.13 वीएलटीडी को किसी वाहन में टैग करने हेतु वीएलटीडी ओइएम एवं उसके द्वारा अधिकृत RetroFitment Center(RFC) को स्टेट बैकएंड पोर्टल पर वीएलटीडी, वाहन एवं वाहन स्वामी का विवरण सहित Tag/Link किया जाएगा।

14.14 वीएलटीडी ओइएम यह सुनिश्चित करेंगे कि वीएलटीडी में न्यूनतम 01 साल की वैधता (अधिमान्य 4जी प्लान तथा अतिरिक्त 2जी प्लान) के साथ एक Active Cellular plan सक्रिय हो। यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि Cellular plan की राशि विभिन्न संचार कंपनियों द्वारा उपलब्ध करवाये जा रहे Cellular plans की राशि से अधिक नहीं होगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि वीएलटीडी डिवाइस में SIM Portability सदैव उपलब्ध रहेगी।

14.15 वीएलटीडी बैकएंड पर वाहन में फिट की गई डिवाईस के समस्त डेटा पैकेट एवं अलर्ट, TAC तथा COP की वैधता, डिवाईस का विवरण, सिम की वैधता, वाहन स्वामी को

Digitally signed by
PURUSOTTAM SHARMA
Designation: Commissioner
Date: 2026-07-13 19:29:5
IST

Scanned with OKEN Scanner

मोबाईल पर प्राप्त ओटीपी आदि के सत्यापन होने पर वीएलटीडी बैकएंड पोर्टल डिवाईस के एक्टिवेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो जायेगी।

14.16 वीएलटीडी ओइएम की जिम्मेदारी होगी कि उनके द्वारा वाहन पर वीएलटी डिवाइस एवं पैनिक बटन लगाये जाने के उपरान्त वाहन स्वामी को उक्त डिवाईस के रख–रखाव एवं संचालन प्रक्रिया के संबंध में जानकारी प्रदान की जाये।

14.17 वीएलटीडी बैकएंड पर वाहन में फिट की गई डिवाईस के समस्त डेटा पैकेट एवं अलर्ट, TAC तथा COP की वैधता, डिवाईस का विवरण, सिम की वैधता, वाहन स्वामी को मोबाईल पर प्राप्त ओटीपी आदि के सत्यापन होने पर वीएलटीडी बैकएंड पोर्टल डिवाईस के एक्टिवेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो जायेगी।

14.18 राजस्थान में वीएलटीडी पॉर्टल पर ऑनबोर्डिंग के लिए आवेदन करने वाले प्रत्येक वीएलटीडी OEM को आवेदन के समय निर्धारित प्रारूप (इस एसओपी का अनुलग्नक–I) में श्रेणी–वार मूल्य अनुसूची (CPS) जमा करनी होगी।

14.19 वीएलटीडी निर्माता द्वारा जिलों में अधिकृत Retrofitment Center(RFC) एवं अधिकृत व्यक्ति/संस्था का पूर्ण पता एवं मोबाईल/फोन नम्बर एवं ई–मेल आइडी उपलब्ध कराना होगा। किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज करने के लिए टोल फ्री नम्बर/कस्टमर केयर नम्बर भी उपलब्ध कराना होगा।

14.20 वीएलटीडी निर्माता को स्टेट वीएलटीडी पॉर्टल पर ऑनबोर्ड एवं निरंतर संचालन हेतु अप्रतिदेय एकमुश्त प्रशासनिक व्यय राशि रूपये 1,00,000 (एक लाख रूपये) तथा रूपये 1000/– (एक हजार रूपये) प्रति वीएलटीडी डिवाइस राजकोष के बजट मद 0041–वाहन कर, 00 , 800– अन्य प्राप्तियॉं, (03)–अन्य विविध प्राप्तियॉं, (01)–विविध प्राप्तियॉं में जमा करवाने होगें। डिवाईस पंजीयन के साथ 1000/– (एक हजार रूपये) प्रति वीएलटीडी डिवाइस राजकोष में जमा चालान नम्बर व दिनांक आदि पोर्टल पर फीड करवाने होगें। उक्त राशि हेतु जारी चालान का दोहरा प्रयोग (दुरुपयोग) रोकने हेतु कारगर प्रणाली (Effective Mechanism यथा Defacing) विकसित की जावेगी। सेवा प्रदायगी में किसी भी प्रकार की चूक होने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऑफबोर्ड किया जा सकता है। पूर्व में ऑनबोर्ड किये वीएलटीडी ओईएम को अप्रतिदेय एकमुश्त प्रशासनिक व्यय राशि आदेश जारी होने के एक माह में राजकोष में जमा करवाना होगा, जमा नहीं करवाने पर नोटिस दिया जाकर ऑफबोर्ड कर दिया जाएगा।

14.21 वीएलटीडी निर्माता को यह सुनिश्चित करना होगा कि राजस्थान राज्य में वीएलटीडी डिवाइस जिस मूल्य पर उपलब्ध करवाई जाएगी वह मूल्य देश के अन्य राज्यों के समकक्ष ही हो, मूल्य में विसंगति पाये जाने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऑफबोर्ड किया जा सकता है।

14.22 वीएलटीडी निर्माता अपने अधिकृत डीलर को उपलब्ध करवाये गये डिवाइस का विवरण मोर्थ के वीएलटीडी मेकर पॉर्टल पर नियमित रूप से अपलोड करता रहेगा।

14.23 अधिक मूल्य वसूलने की किसी भी शिकायत की जांच परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के नामित नोडल अधिकारी द्वारा की जाएगी। ऐसी शिकायतों का निराकरण निर्धारित समय–सीमा के भीतर किया जाएगा एवं दोषी पाए जाने पर निम्नलिखित शास्तियां अधिरोपित की जाएंगी:–

क.स.	उल्लघंन का प्रकार	प्रथम अपराध	पुनरावृति
1.	निर्धारित मूल्य से अधिक शुल्क लेना(डिवाइस/स्थापना)	लिखित चेतावनी और 07 दिनों के भीतर मालिक को रिफंड	03 महीने के लिए स्टेट वीएलटीडी पॉर्टल पर ऑफबोर्ड कर दिया जाएगा।

Digitally signed by
PURUSOTTAM SHARMA
Designation: Commissione
Date: 2026-07-13 19:29:5
IST

Scanned with OKEN Scanner

2.	सिम रिचार्ज अधिक शुल्क लेना	लिखित चेतावनी और 07 दिनों के भीतर रिफंड	03 महीने के लिए स्टेट वीएलटीडी पॉर्टल पर ऑफबोर्ड कर दिया जाएगा।
3.	सिम रिचार्ज/पोर्टबिलिटी से इनकार करना	औपचारिक नोटिस और 15 दिनों के भीतर अनुपालन	03 महीने के लिए स्टेट वीएलटीडी पॉर्टल पर ऑफबोर्ड कर दिया जाएगा।
4.	जीएसटी इनवांइस जारी न करना	कारण बताओं नोटिस	स्टेट बैकेंड वीएलटीडी पॉर्टल से हटाना

किसी वीएलटीडी OEM द्वारा एक से अधिक बार की पुनरावृति पर उसे स्थायी रूप से पैनल से हटा दिया जाएगा, तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को उक्त OEM के विरूद्व आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रस्तावित किया जायेगा।

15. स्टेट वीएलटीडी पॉर्टल से अस्थाई/स्थाई रूप से ऑफबोर्डिंग के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया लागू होगी।

16. परिवहन विभाग की ओर से वीएलटीडी OEM को आधार निर्दिष्ट करते हुए कारण बताओं नोटिस जारी किया जाएगा और जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा।
    16.1 वीएलटीडी OEM द्वारा प्रस्तुत जवाब के 10 कार्य दिवसों के भीतर परिवहन आयुक्त या नामित अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।
    16.2 परिवहन आयुक्त या नामित अधिकारी कारण बताओं नोटिस के 30 दिनों के भीतर एक तर्कसंगत लिखित आदेश पारित करेंगे, जिसके तहत या तो कार्यवाही को समाप्त करेंगे अथवा पॉर्टल से ऑफबोर्ड करेगें।
    16.3 राज्य VLTD पोर्टल से वीएलटीडी OEM को तत्काल ऑफबोर्ड किया जाएगा तथा वीएलटीडी OEM की समस्त डिवाइस को ब्लॉक कर दिया जाएगा।
    16.4 ऐसे समस्त प्रकरणों में जहां सार्वजनिक सुरक्षा, डेटा सुरक्षा, या राज्य VLTD प्रणाली की अखंडता को तत्काल खतरा हो तो परिवहन आयुक्त बिना पूर्व नोटिस के तत्काल ऑफबोर्डिंग का आदेश दे सकते हैं।

17. अपील– पंजीयन निलंबन/निरस्त करने के आदेश के विरूद्व प्रथम अपील आयुक्त परिवहन एवं सड़क सुरक्षा, विभाग एवं द्वितीय अपील शासन सचिव/प्रमुख शासन सचिव/अतिरिक्त शासन सचिव, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, के समक्ष की जा सकेगी।

18. वाहनों में फिट किये गये वीएलटीडी डिवाईस एवं पैनिक बटन को सक्षम प्राधिकारी द्वारा द्वारा अप्रूव किया जाएगा। वीएलटीडी डिवाइस के सक्रियण हेतु सक्षम अधिकारी के द्वारा वाहन के भौतिक सत्यापन की अनिवार्यता नही रहेगी। इसका अप्रुवल/सत्यापन ऑनलाईन वाहन 4.0 पॉर्टल पर ही किया जाना है। वाहन पॉर्टल पर डिवाईस के समस्त डेटा प्रोटोकोल एवं अलर्ट के कार्यरत होने की रिपोर्ट प्राप्त होने की स्थिति में डिवाईस का अप्रुवल/सत्यापन ऑनलाईन ही किया जाएगा।

19. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कमांड एवं कन्ट्रोल सेन्टर द्वारा वाहनों में लगे हुये वीएलटीडी का नियमित समय अंतराल से वीएलटीडी बैकएंड पर डेटा प्राप्त हो, तथा डिवाईस से प्राप्त अलर्ट पर विभाग द्वारा निर्धारित एसओपी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

20. Panic Button के उपयोग के उपरांत सेन्टर को प्राप्त पैनिक डेटा पैकेट सीधे ही NERS/ERSS को अनिवार्यतः भेजा जाएगा। कमांड एण्ड कन्ट्रौल सेंटर में प्राप्त डेटा /Alert की मॉनिटरिंग विभाग द्वारा निर्धारित प्रकिया के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

Digitally signed by
PURUSOTTAM SHARMA
Designation: Commissione
Date: 2026-07-13 19:29:5
IST

Scanned with OKEN Scanner

21. वीएलटीडी डिवाइस की Conformity of production (COP) की वैधता समाप्त होते ही उक्त डिवाइस मॉडल की फिटमेंट वीएलटीडी पॉर्टल द्वारा स्वतः रोक दी जायेगी।
22. वाहन स्वामी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उनके वाहन में लगा वीएलटी डिवाईस AIS 140 मानक का हो एवं पैनिक बटन सदैव कार्यशील हो ।
23. वाहन स्वामी को किसी भी प्रकार के अलर्ट प्राप्त होने पर स्वंय के स्तर पर नियमानुसार कार्यवाही करनी होगी।
24. सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार वाहन के पंजीयन, परमिट नवीनीकरण एवं फिटनेस लेते वक्त सक्रिय वीएलटीडी अनिवार्य रहेगा। नियत दिनांक के पश्चात वीएलटीडी सक्रिय नहीं रहने को परमिट शर्तो का उल्लंघन माना जाकर विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
25. वीएलटीडी बैकएण्ड पर डिवाइस के कियाशील होने की स्थिति को देखे जाने के लिए निम्न स्टेकहोल्डर्स को सुविधा दी जाएगी।
    i. वीएलटीडी निर्माता
    ii. संबंधित परमिट एवं सक्षम अधिकारी
    iii. वाहन स्वामी
    iv. राज्य सरकार द्वारा अधिकृत प्राधिकारी
    v. केन्द्र अथवा राज्य सरकार से अधिकृत अन्य विभाग/एजेन्सी
26. सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार एवं परिवहन एवं सडक सुरक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश की पालना किया जाना आवश्यक होगा।
27. किसी भी प्रकार की सहायता के लिए ई-मेल आइडी TRANSPORT.VLTS@RAJASTHAN.GOV.IN या दूरभाष नम्बर 0141-2850646 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

(पुरूषोत्तम शर्मा)
आयुक्त, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा
जयपुर, दिनांक :- 13.07.2026

क्रमांक :- प.7(505) परि/नियम/hq/ 2013
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हैः-
1. विशिष्ट सचिव, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा, राज. सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा, राजस्थान, जयपुर
4. निजी सचिव, अपर परिवहन आयुक्त, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा, राजस्थान, जयपुर
5. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी, समस्त।
6. संबंधित OEM ।
7. अतिरिक्त निदेशक, आईटी को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को पोर्टल पर अपलोड करावे।
8. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा

RajKaj Ref No.:
23173626

Digitally signed by
PURUSOTTAM SHARMA
Designation: Commissione
Date: 2026-07-13 19:29:5
IST

Scanned with OKEN Scanner